

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

संख्या एस० ओ०...../रा०,

पटना, दिनांक-.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-जमालपुर चादर नं०-1, परगना आहिस, थाना-जमालपुर, थाना नं०-423 जिला-दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-किरतपुर अंचल में 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु सरकारी स्वरूप पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-जमालपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.45 एकड़ के बराबर होता है, जिसमें 0.45 एकड़ कृषि योग्य है, ली जानी वाली भूमि का खेसरा नं०-निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा - X

पूर्ण खेसरा - 1171/5899

चौहदी :-

उ० -खे०नं०-5897

द० -खे०नं०-1183


पू० - खे०नं०-1162

प० - खे०नं०-1171


यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा-6 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम, 11,1961 एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इनसे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


30/4/13
अमीन,
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
दरभंगा।
4.5.13
अपर समाहर्ता,
दरभंगा।
समाहर्ता,
दरभंगा।
अवर सचिव,
बिहार सरकार।

- प्रतिलिपि 1. लीन प्रतियां सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, दरभंगा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।